

राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजा जयपुर

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर राज
क्रमांक: एफ 124 (39)/नि.अ.स.मा.वि./पीएमजेवीके /2022-23/ 8069

दिनांक:-

19/7/2022

समस्त,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनांतर्गत सशोधित नवीन गाईडलाईन के अनुसार प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना हेतु नवीन संशोधित दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जोकि 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है। निर्देशानुसार विभागीय गतिविधियों एवं अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक उन्नयन तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु सहज पहुँच के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं कॉमन सर्विस सेन्टर को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना अपेक्षित है। इस हेतु संलग्न परिशिष्ट के अनुसार प्रस्ताव जिले के अन्य प्रस्तावों के साथ अविलम्ब भिजवाने की कार्यवाही करे।

उक्त प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा हेतु गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरान्त भिजवाये जाने अपेक्षित है।

(जमील अहमद कुरैशी)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ 124 (39)/नि.अ.स.मा.वि./पीएमजेवीके /2022-23/ 8070-72 दिनांक:- 19.7.2022

प्रतिलिपि :- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राज. सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

(आ. महमूद अली खान)

उपनिदेशक पीएमजेवीके

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम			टिप्पणी/ अन्य कार्य जो विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए हो।
		आवासीय विद्यालय	छात्रावास भवन	कॉमन सर्विस सेन्टर	
1	अजमेर		बालक	सीएससी	
2	बांसवाड़ा		बालक		
3	बारां	बालक	बालक		
4	भरतपुर		बालक बालिका	सीएससी	
5	भीलवाड़ा		बालक		
6	बीकानेर	बालक		सीएससी	
7	बूंदी				
8	चित्तौड़गढ़	बालक	बालक	सीएससी	
9	चुरू				
10	दौसा				
11	धौलपुर				
12	डूंगरपुर		बालक		
13	हनुमानगढ़		बालक		
14	जालौर		बालक (सांचोर/ भीनमाल)		
15	झालावाड़	बालक	बालक		
16	करोली		बालक		
17	पाली	बालक			
18	प्रतापगढ़		बालक		
19	राजसमन्द		बालक		
20	श्री गंगानगर				
21	सीकर		बालिका		
22	सिरोही		बालक		
23	टांक	बालिका	बालिका	सीएससी	
24	उदयपुर		बालक		
25	जोधपुर	बालक/बालिका		सीएससी	
26	कोटा	बालक		सीएससी	
27	सवाईमाधोपुर	बालिका (मलारना डूंगर)			
28	झुझुनु	बालिका			
29	वाड़मेर			सीएससी	

नोट:- सीएससी हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्व में राशि रुपये 140.00 लाख लागत तथा आउट-प्लान निर्धारित है। आवासीय विद्यालय (कक्षा 8 से 12 तक) की अनुमानित लागत 480 बच्चों हेतु राशि रुपये 2580.00 लाख है। छात्रावास भवन निर्माण हेतु 280.00 लाख (50 बेडेड) एवं 485.00 लाख (100 बेडेड) निर्धारित है। छात्रावास भवन निर्माण हेतु निदेशालय द्वारा 3 प्रकार के नक्शे अनुमोदित हैं, जिनके आधार पर प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं।